

नगर पालिका परिषद सीतापुर

फार्म "क" / "ख" / "ग" का प्रारूप
सम्पत्ति पर स्वतः कर का निर्धारण प्रपत्र

- भवन स्वामी का विवरण
 - स्वामी/अध्यासी का नाम.....
 - स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
 - भवन / भूखण्ड संख्या..... अस्थाई पता.....
 - सम्पर्क सूत्र..... आधार संख्या.....
- सम्पत्ति का प्रकार:
 - आवासीय व्यवसायिक
- अवस्थित सम्पत्ति :
 - भवन भूमि
 - निर्माण वर्ष..... (तीन) जल संयोजन सं०.....
 - मंजिलों की संख्या..... (पांच) कमरों की संख्या.....
- अवस्थित मार्ग का विवरण है।
 - 9 मीटर तक / 9 से 12 मीटर तक / 12 से 24 मीटर तक / 24 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर
- भवन के निर्माण की प्रकृति
 - कच्चा भवन / अन्य पक्का भवन / पक्का भवन / भूमि
- भवन सम्बन्धित व्यौरा:—(लम्बाई × चौड़ाई)
 - (क) समस्त कमरों व आच्छादित यारामदों का अन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....
 - (ख) बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डारगृह का अन्तरिक (वर्ग फुट में).....
 - (ग) समस्त गैराज का आन्तरिक भाग (वर्ग फुट में)
 - (ग) भूमि (वर्ग फुट में)
 - भवन का कारपेट एरिया :
 - (अ) $क + ख/2 + ग/4 =$

- सामान्य कर : गृहकर (AVR) का 10 प्रतिशत एवं जलकर 7.5 प्रतिशत एवं जल निकास कर 2.5 प्रतिशत

भवन का वार्षिक मूल्य + भूमि का वार्षिक किराया मूल्य का 10 प्रतिशत गृहकर.....
भवन का वार्षिक किराया मूल्य+भूमि का वार्षिक किराया मूल्य का 10 प्रतिशत जलकर.....

गृह कर	जल कर	जल निकास कर	जल मूल्य	कुल राशि
गृह कर				

भवन का वार्षिक किराया मूल्य (AVR)=12 × अधिशाषी अधिकारी द्वारा निर्धारित दर × कारपेट एरिया का 80 प्रतिशत
टप्पणी—स्नानगृह, शौचालय, पौरटिकों और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट का भाग नहीं होंगा।

स्वामी/अध्यासी द्वारा घोषणा

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं। इसमें दिये गये कोई विवरण न तो छिपाये गये हैं और न ही असत्य उल्लिखित है।

दिनांक :

(हस्ताक्षर)
(नाम व पूरा पता)

जांच किया गया

कर अधीक्षक

अवलोकित/अनुमत राजस्व निरीक्षक

अधिशाषी अधिकारी